

## सपोर्टिंग पीपल

## (व्यक्तियों को सहारा देना)

कर्क केयर, हैनोवर (स्कॉटलैंड) और बिल्ड हाऊसिंग असोसियेशन्स के सभी व्यक्ति आपको नव वर्ष की शुभकामनायें देते हैं।

न्यूज़ लैटर के इस संस्करण की मुख्य मुद्दा व्यक्तियों को सहारा (“सपोर्टिंग पीपल”) देना है। “सपोर्टिंग पीपल” पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य, उपभोगताओं की जरूरतों को केन्द्रित करते हुए उनको उत्तम गुणवत्ता वाली सेवायें प्रदान करना है, ताकि कमजोर (*Vulnerable*) व्यक्तियों को समुदायों में सभी प्रकार के आवासों में स्वतंत्ररूप से रहने के योग्य बनाया जा सके। स्कॉटलैंड में सपोर्टिंग पीपल के कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी स्कॉटिश एक्जैक्टिव की है।

इस न्यूज़लैटर का उद्देश्य काले तथा अल्पसंख्यक समुदायों को, उस नये संविधान और पॉलिसियों के बारे में सूचना और नवीनतम जानकारी प्रदान करना है, जो कि उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं।



## एक संदेश

### स्काटिश एक्जैक्टिव सपोर्टिंग पीपल टीम की तरफ से

सपोर्टिंग पीपल टीम एक नई राष्ट्रिय पॉलिसी है, जिसका परिचय 1 अप्रैल 2003 में पूरे ग्रेट ब्रिटेन में तब करवाया जायेगा, जब आवासिय सहारा देने की सेवाओं की योजनाओं और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी को स्थानिय अथॉरिटीज को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। सपोर्टिंग पीपल का बजट केवल आवासिय सहारा देने की सेवाओं का भुगतान के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है, काउंसिल इस पैसे को अन्य सेवाओं पर खर्च करने का निर्णय नहीं ले सकती है। इस प्रकार की दिलचस्पी का लक्ष्य आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं को व्यक्तियों की जरूरतों के अनुसार और जवाबदेह बनाना है।

हाउसिंग सपोर्ट केवल बदलाव लाने के लिए ही नहीं बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्ररूप से रहने के लिए पहले से ही कोई आवासिय सहारा ले रहा है, और वह इस सेवा से प्रसन्न है, तो उनका इस सेवा को नहीं बदला जाएगा। यदि उनकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता है, तो वह बिना कोई अतिरिक्त खर्चा किए ही उसी सेवा को लेना तब तक जारी रखेंगे। यद्यपी वह व्यक्ति जो आवासिय भत्ते (हाउसिंग बैनिफिट) के द्वारा अपनी आवासिय सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, वह उनको आवासिय भत्ते में मिलने वाली राशि में कमी को देखेंगे। उनको इसके बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस सेवा का खर्चा स्थानिय अथॉरिटीज के द्वारा पूरा किया जायगा।

अगर व्यक्ति उनको प्राप्त होने वाली आवासिय सहारा देने की सेवा में परिवर्तन लाना चाहते हैं - तो सपोर्टिंग पीपल इसको ऐसा करने में इन व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। आवासिय सहारा देने के कुछ उदाहरण यह हैं:

- आपको यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि आपका आवास सुरक्षित है।
- आपके द्वारा समय तय करने (अपाईटमेंट) के प्रबन्ध में सहायता करना, उदाहरण के लिए, जी पी (डाक्टर), व्यापारिक व्यक्ति, काउंसिल विभाग से।
- फॉर्म भरने और बैनिफिट्स (भत्तों) का दावा करने में सहायता करना।
- बाजार से खरीदारी करने और भोजन बनाने में सहायता करना।
- उन आम सलाहों और सहारा देने वाली सेवाओं में सहायता करना, जो कि आपकी अपने मकान में रहने के योग्य बनाने में सहायक हैं।
- उन जगहों पर साफ-सफाई में सहायता करना जहाँ पर निजी परिस्थितियों की वजह से किरायदार यह करने के योग्य नहीं हैं।

डायरेक्ट पेमेंट एक अन्य नई योजना है और इससे भी उत्तम विकल्प प्रदान होगा, क्योंकि स्थानिय अथॉरिटीज, अपाहिज व्यक्तियों को जून 2003 से अपनी आवासिय सहारा प्रदान करने की सेवा को खरीदने के लिए धन की पेशकश करगी।

अप्रैल 2004 से स्थानिय अथॉरिटीज को व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को डायरेक्ट पेमेंट की पेशकश करनी होगी ताकी उनको अपनी सेवायें खरीदने के योग्य बनाया जा सके। अगर व्यक्ति अपने लिए स्थानिय अथॉरिटी की सेवाओं को चुनने की प्राथमिकता देते हैं तो उनको डायरेक्ट पेमेंट को लेने की जरूरत नहीं होगी।

नये प्रबंधों के अंतर्गत, पहली बार, आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं को नियमित किया जायेगा और प्रदानकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि उनकी सेवायें राष्ट्रिय माप-दंडों को पूरा करती हैं।

स्काटिश एक्जैक्टिव सपोर्टिंग पीपल टीम का नजरिया यह है कि सपोर्टिंग पीपल एक नई योजना है, जो कि वृद्ध व्यक्तियों और अन्य उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें आवासिय सहारे की सेवाओं की जरूरत है, उनके लिए नये अवसरों को पैदा करेगी, जो कि उत्तम गुणवत्ता की सेवाओं को प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि उनकी भविष्य की जरूरतों को और नजदीक से पूरा करेंगी।

### गलासो सिटी काउंसिल सपोर्टिंग पीपल के साथ कैसे कार्य कर रही है

गलासो, सपोर्टिंग पीपल और बहुमुखी डिस्पलिनरी टीम के उन ऑफिसर्स का परिचय करवाने की तैयारी में जुटी हुई है, जो कि काउंसिल के हाउसिंग सर्विसिज विभाग में स्थित हैं और जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं कि विभिन्न कार्य को स्कॉटिश एक्जैक्टिव द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार पूरा किया जा सके।

गलासो सिटी काउंसिल और एन एच एस ग्रेटर गलासो के पास बहुत सारे कम्युनिटी केयर ग्रुपों के लिए साँझी योजनाएँ और क्रमबद्ध कार्यनितियाँ हैं। इन क्रमबद्ध योजनाओं का मुख्य लक्ष्य, गलासो के अत्याधिक कमजोर व्यक्तियों की जरूरतों को एकसाथ मिलकर कार्य कर के पूरी करने का है, विशेषतौर पर उनको समुदाय के एक भाग के रूप में रहने योग्य बनाना। जून 2002 में गलासो सिटी काउंसिल ने इस वित्तीय-वर्ष के लिए £30m की सेवाओं को लागू करने की सहमति दी थी, इसके परिणाम स्वरूप नई सेवाओं का परिचय करवाया गया है - गलासो में वृद्ध व्यक्ति और बेघरवार सेवाएँ दो मुख्य प्राथमिकताएँ हैं, और सपोर्टिंग पीपल टीम अपने सोशल वर्क और स्वास्थ्य सेवाओं के सहकर्मियों के साथ मिलकर उन कमजोर व्यक्तियों की पहचान का कार्य बहुत नज़दीक से कर रहे हैं, जिनको कि आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं से लाभ मिल सकता है।

सपोर्टिंग पीपल के परिचय करवाने की तैयारी में सहायता करने के लिए, सभी काउंसिलों के पास एक अंतरिम लाभ योजना है, जिसको ट्रांजिशनल हाउसिंग बेंचिफिट (THB) कहा जाता है, जो कि आवासिय सहारा देने वाली योजनाओं के अप्रैल 2003 तक चलाने के लिए उसके खर्चों की गणना करेगी और उन्हें पहचानेगी। वह व्यक्ति जिनका आंकलन हाउसिंग सपोर्ट की जरूरत के लिए किया गया है, और वह वर्तमान में आवासिय भत्ता ले रहे हैं, वह भी (THB) के लिए योग्य हैं। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल हैं जो कि काउंसिल या हाउसिंग असोसिएशन के मकान में रह रहे हैं, होस्टल में, सपोर्टिड आवास या शैल्ड हाउसिंग काम्प्लेक्स में रह रहे हैं।

THB और सपोर्टिंग पीपल “आवास सम्बंधित” सहारे को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, जो कि प्रतिदिन के उन कार्यों में व्यवहारिक सहारा, सलाह और सहायता है, जो कि एक मकान के प्रबन्धन और रखरखाव से जुड़े हुए हैं।

स्कॉटिश एक्जैक्टिव को इस बात की जरूरत है कि प्रत्येक स्थानिय अथॉरिटी सपोर्टिंग पीपल के लिए एक क्रमबद्ध योजना बनाए, इसको हाउसिंग सर्विसिज, सोशल वर्क सर्विसिज और एन एच एस ग्रेटर गलासो द्वारा मिलकर बनाया गया है। इस योजना के एक भाग के रूप में, सपोर्टिंग पीपल टीम आवास और सहारा प्रदानकर्ताओं से सलाह-मशवरा कर रही है, और सेवाओं के उपभोगताओं को इसके बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके बना रही है। गलासो सपोर्टिंग पीपल की वेबसाइट जल्दी ही आने वाली है, और इसके पत्रकों और पोस्टरों को बाँट दिया गया है, और वर्तमान में इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहा है।

अगर आप सोचते हैं कि आपको आवासिय सहारे की जरूरत पड़ सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसे की इस प्रकार की सहायता से लाभ हो सकता है, तो आपको अपने क्षेत्र की स्थानिय अथॉरिटी से सम्पर्क करना चाहिए, जो कि आपको इस बारे में सलाह प्रदान करेगी कि इसके लिए कैसे आवेदन करना है।

## सपोटिंग पीपल की तरफ

### सिटी ऑफ एडिनबरा काउंसिल का रवैया

सिटी ऑफ एडिनबरा काउंसिल, सपोटिंग पीपल का परिचय करवाने की तैयारी के लिए काफी मात्रा में साधन उपलब्ध करवा रही है। सपोटिंग पीपल को लागू करने के प्रतिनिधित्व के लिए एक कार्पोरेट टीम को बनाया गया है। टीम की प्राथमिकतायें यह हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि, सेवा उपभोगताओं की आवासिय सपोर्ट की जरूरतों को पूरा करना जारी रखने के लिए, प्रदानकर्त्ताओं के पास अप्रैल में पर्याप्त मात्रा में आर्थिक धन हो।
- यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार उन व्यक्तियों को जिनको कि सहारे की आवश्यकता है, इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनी जगह पर हों।
- 2003/04 में कार्यक्रम को लागू करने के लिए, और 2003 और 2006 के बीच कार्यक्रमों का विकास करने के लिए एक कार्ययोजना होना

टीम ठेकेदारों के साथ अंतरिम संविदा स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। यह कार्य नये वर्ष में भी जारी रहेगा। काउंसिल के भुगतान करने की कार्यप्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार किया गया है, ताकी वह सभी प्रदानकर्त्ताओं को अप्रैल में बड़ी राशी का भुगतान कर सकें। हांलाकि, काउंसिल के द्वारा ठेकों की कीमत तय करने में सहायता के लिए स्कॉटिश एक्जैक्टिव से और आगे मार्ग-निर्देशन आना बाकी है।

एडिनबरा काउंसिल का लक्ष्य, सपोटिंग टीम की तरफ आसानी से होने वाले परिवर्तन को सुनिश्चित करना है। आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं का कैसे मूल्यांकन किया जायेगा, में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में प्रदानकर्त्ताओं के साथ बातचीत की जायेगी। काउंसिल ने सेवाउपभोगताओं को सीधे सूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है, क्योंकि सलाह देने के अभी काफी ऐसे क्षेत्र बाकी हैं जिनको कि अभी स्थापित करना बाकी है। इस कार्य को नये वर्ष में इन सेवाओं के प्रदानकर्त्ताओं के साथ सांझेदारी में और आगे बढ़ाया जायेगा।

अगर आप एडिनबरा में सपोटिंग पीपल के बारे में और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इलेन स्कॉट को इस पते पर सम्पर्क करें: Supporting People Lead Officer, City of Edinburgh Council, Claremont House, 130 East Claremont Street, Edinburgh EH7 4LB. इलेन से इस नम्बर 0131 529 7562 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है, या इस पते पर ई-मेल भेज सकते हैं: [elaine.scott@edinburgh.gov.uk](mailto:elaine.scott@edinburgh.gov.uk).



Scenes from the Housing For Older People Video

## सपोर्टिंग पीपल बैनिफिट्स (लाभ भत्ते) की नवीनतम जानकारी

सपोर्टिंग पीपल पॉलिसी का लागू होना, आवासिय सहारे को भुगतान करने के एक नये तरीके का परिचय करवायेगा। आवासिय सहारा सेवाओं की फीस किरायों के भुगतान करने का अब भाग नहीं बनेगी। वर्तमान में सपोर्ट की फीस, सभी शैल्ड और वैरी शैल्ड आवासों के किरायेदारों के लिए, मासिक किराए का भाग बनी हुई है। यह फीस अभी भी रहेगी, लेकिन यह कर होंगे और इसे स्थानिय काउंसिलों के द्वारा इकट्ठा किया जायेगा।

अच्छी बात यह है कि कोई भी किरायेदार अगर किसी भी स्तर का हाउसिंग बैनिफिट प्राप्त कर रहा है (चाहे वह भत्ता कम से कम 50 पेंस प्रति सप्ताह का ही क्यों न हो), उसको किसी भी आवासिय सहारे की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हाउसिंग बैनिफिट के लिए आवेदन नहीं किया तो कृपया उसे अब करिए।

कोई भी किरायेदार जिनकी आवासिय सहारे की फीस अब उनके बैनिफिट की गणना में शामिल न किये जाने की वजह से, 1 अप्रैल 2003 से हाउसिंग बैनिफिट लेने के योग्य नहीं है, उनको इसकी वजह से वित्तिय रूप से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा।

ऐसे किरायेदार जो कि हाउसिंग बैनिफिट के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, वह अपनी स्थानिय काउंसिल को आवासिय सहारा की सेवाओं की पूरी फीस देने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि वह काउंसिल से "वित्तिय मूल्यांकन" के लिए उसी प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में कुछ किरायेदार होम केयर की फीस के अनुसार करते हैं। प्रत्येक काउंसिल अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू कर सकती है, इसलिए पूरे देश में एक जैसी योजना नहीं होगी। किरायेदार जो भी सपोर्ट की फीस देगा वह अपनी काउंसिल को देगा।

सपोर्टिंग पीपल का कार्यक्रम, मकान मालिक के लिए अप्रैल 2004 तक उपलब्ध नहीं होगा, जबकि सिद्धांतिक रूप से कोई भी अन्य आवासिय ग्रुप, अप्रैल 2003 से सपोर्टिंग पीपल तक पहुंच सकता है।

**अगर कोई संदेह है तो, बैनिफिट के दावे/ अतिरिक्त बैनिफिट के लिए, अनुरूप काउंसिल हाउसिंग बैनिफिट ऑफिस में अर्जी दाखिल करें।**

### विडियो उत्पादन

हाउसिंग असोसियेशन का, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवास पर विडियो बनाया जाने वाला नया प्रयास, अब बिल्कुल तैयार है। यह विडियो अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और चीनी भाषा में उपलब्ध होगा।

इस विडियो में, फिल्म और दूरदर्शन की जानी मानी हसती सैयद जाफरी है। इसमें ह्यू हैनरी, उपमंत्री सोशल जस्टिस और समुदायों के वास्तिकता में जानेपहचाने व्यक्तियों को भी दिखाया गया है।

हम उन सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ने अपना समय दिया और इस विडियो का हिस्सा बनने के लिए अपना उत्साह दिखाया, मिलन (सीनियर वेलफेयर काउंसिल) एडिनबरा और विंग हांग चाईनीज एल्डरली सैन्टर, गलासो को हम विशेषरूप से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस विडियो के बनने में अपना सहारा प्रदान किया।

इस विडियो को एडिनबरा में मार्च 2003 और गलासो में अप्रैल 2003 को इसके उदघाटन पर दिखाया जाएगा। इसकी तारीख और होने की जगह के बारे में जानकारी रखें।



## लिंकनेट मैन्टोरिंग प्रोजेक्ट (LINKnet Mentoring project)

लिंकनेट मैन्टोरिंग प्रोजेक्ट, एडिनबरा, लोदियन और बोर्डर क्षेत्रों में ऐसे काले/अल्पसंख्यक व्यक्तियों की तलाश कर रहा है, जो कि, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक और नागरिक जीवन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, इस मैन्टोरिंग योजना में जुड़ें। मैन्टोर उस सदस्य की उसके शिक्षा, कैरियर और रोजगार में उन्नती के लिए उसको सहारा तथा मार्ग-निर्देशन देंगे। अगर आप एक मैन्टर (गुरु)/मैन्टरी (शिष्य) के रूप में भाग लेने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, तो नीचे भटनागर को इस पते पर सम्पर्क करें: 31 गुथरी स्ट्रीट, एडिनबरा, टेलीफोन: 0131 650 9528/29, ई-मेल: [neeru@linknetmentoring.com](mailto:neeru@linknetmentoring.com)

## एडिनबरा का नस्ली घटनाओं का मूल्यांकन करने वाला प्रोजेक्ट (Edinburgh Racial Incidents Monitoring Project)

एडिनबरा में नस्ली घटनाओं का मूल्यांकन करने वाला प्रोजेक्ट (ERIMP) को एक साल पहले, सहर में इस प्रकार की घटनाओं को इकट्ठा करने, उनकी जाँच-पड़ताल करने और डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। एक उच्चस्तर के माप-दंडों वाले प्रश्न पूछ कर, 16 चाटों का एक क्रम बनाया जा सकता है, जो कि नस्ली घटनाओं की एक वास्तविक और गुमनाम तस्वीर देते हैं। खोज के अन्य तरीकों को लागू करके, हम इस बारे में और विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कि घटना कहाँ और कब हुई, क्या हुआ, और इसमें कौन पीड़ित है और कौन दोषी है यह सब पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में ERIMP के डेटाबेस में 200 से अधिक घटनाएँ हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपकी ऐजेंसी इस ERIMP में भाग लेना चाहती है, या आप इसके बारे में और अधिक सूचना चाहते हैं, तो कृपया ERIMP के को आरटिनेटर, जैफ कैथ को इस नम्बर 0131 466 1949 पर या ई-मेल पर सम्पर्क करें या हमारी इस वेबसाइट पर जायें: [www.erimp.org](http://www.erimp.org)

i

## मासिक सर्जरी

हाऊसिंग असोसियेशन के अंदर, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवास के बारे में और रोजगार के अवसरों के बारे में सलाह और सूचना उपलब्ध करवाना, हमारी मासिक सर्जरियों में जारी रहेगा।

महीने के हर दूसरे मंगलवार को

मिलन (Milan) में दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक।  
टेलीफोन: 0131 555 5330 टेलीफोन: 0131 555 6500

महीने के प्रत्येक पहले मंगलवार को

मेल-मिलाप सेंटर में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।  
टेलीफोन: 0141 564 1038

महीने के प्रत्येक दूसरे बुधवार को

एम ई सी सी (MECC) में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।  
टेलीफोन: 0141 585 8012

अगर आप किसी घटनाक्रम या अपने प्रोजेक्ट के बारे में समुदायों को बताना चाहते हैं या इन न्यूजलैटर में विज्ञापन देना चाहते हैं तो कृपया इन्हें लिखें या टेलीफोन करें:

Rohini Sharma  
Housing Equal Opportunities Officer  
Kirk Care Housing Association Ltd  
9 Albyn Place  
Edinburgh, EH2 4NG  
Tel: 0131 225 7246  
Email: [rsharma@kirkcare.co.uk](mailto:rsharma@kirkcare.co.uk)



### EDINBURGH

Kirk Care Housing Association Limited,  
3 Forres Street Edinburgh EH3 6BJ  
Tel 0131 225 7246

Hanover (Scotland) Housing Association  
Limited, 36 Albany Street,  
Edinburgh EH1 3QH  
Tel: 0131 557 0598

Bield Housing Association Limited,  
22 Windsor Street, Edinburgh EH7 5JR  
Tel: 0131 273 4000

### GLASGOW

Kirk Care Housing Association Limited,  
25 Park Circus, Glasgow G3 6AP  
Tel: 0141 341 3200

Hanover (Scotland) Housing  
Association Limited, 5 Newton Place,  
Glasgow G3 7PR  
Tel: 0141 353 1353

Bield Housing Association Limited,  
12 Somerset Place, Glasgow G3 7JT  
Tel: 0141 270 7200